मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 970/1120/08/22/पं.–2. भोपाल, दिनांक 25/7/08

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर**
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला/जनपद पंचायत
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/**
   सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
   जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– अध्यापक संवर्ग के लिए स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अन्तर्गत स्थानांतरण की नीति।

—00—

उपरोक्त विषय में स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–75/08/20–1 दिनांक 22.07.08 की छाया प्रति संलग्न है।

2. निर्देशित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

24/7/08

(उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक /1120/08/22/पं.–2. भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 956/पी.एस./एस.ई.डी./08/दिनांक 23.07.08 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. आयुक्त पंचायतराज संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक/F-1-75/2008/20-1 भोपाल, दिनांक 22/7/08

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदमि जाति कल्याण

मध्यप्रदेश।

विषयः—अध्यापक संवर्ग के लिए स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानान्तरण की नीति।

संदर्भः—1. विभाग का आदेश क्रमांक 1—75/2008/20—1 दिनांक 28.06.08
2. विभाग का आदेश क्रमांक 57—16/2008/20—2 दिनांक 02.07.08

विषयान्तर्गत आदेश दिनांक 28.06.08 द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिए स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानान्तरण की नीति जारी की गई है। इसी प्रकार शासन आदेश दिनांक 02.07.08 द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए स्थाई पदसंरचना निर्धारित करने के आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत प्राथमिक शालाओं हेतु दो शिक्षक (सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—3) तथा माध्यमिक शालाओं हेतु तीन शिक्षक (शिक्षक/अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—2) के पद निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :—

1. स्वैच्छिक स्थानान्तरण नीति के तहत अध्यापक संवर्ग के स्थानान्तरण से रिक्त होने वाले पदों को संविदा शाला शिक्षकों की पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित किया जाए।
2. स्थानान्तरित होने वाले सहायक अध्यापक/अध्यापक के आदेश तभी लागू किए जाएं जबकि प्राथमिक शाला में न्यूनतम दो शिक्षक एवं माध्यमिक शालाओं में न्यूनतम तीन शिक्षक उपलब्ध हो जाए अर्थात् जिन अध्यापकों का स्थानान्तरण स्वैच्छिक स्थानान्तरण नीति के तहत किया जाना है, उन्हें तब ही कार्यमुक्त किया जाए जब नवीन संविदा भर्ती के उपरांत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—3/श्रेणी—2 द्वारा यथास्थिति प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पदभार ग्रहण कर लिया जाता है एवं न्यूनतम (स्थायी) पदसंरचना पूर्ण हो जाती है।

(मनोज झालानी)
सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क. /F1-75/2008/20-1 भोपाल, दिनांक 22/7/08

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
6. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग